II-155 C.J.(E)

THE COURT

34 of 2016 C.A

Date of order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

08 / 07 / 2017 प्रस्तुत ।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।

अपीलार्थी / वादीगण श्रीमती राजकुमारी सहित तथा अवयस्क गुरूदीप, छोटू उर्फ हरदीप द्वारा सरपरस्त मां श्रीमती राजकुमारी सहित श्री डी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0।

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी कमांक 01 एवं प्रतिवादी कमांक 04 द्व ारा श्री पी.के वर्मा अधिवक्ता उप0।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक 05 सहित एवं 02, 03 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उप0।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक ०६ म०प्र० शासन अनिर्वहित।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक 04 शंकरलाल अनु0 है। शंकरलाल की हाजिरी उसके अधिवक्ता श्री पी.के वर्मा के माध्यम से मान्य की गई। शंकरलाल प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है और उनके द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जानी है। इस कारण उपस्थित न होने पर जरिए अभिभाषक राजीनामे पर विचार किया जा सकता है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामें पर विचार किया गया। उभयपक्ष को सुना गया।

उभयपक्ष की ओर से व्यक्त किया गया है कि भूरेसिंह के द्वारा प्रतिवादी कमांक 01 राजू के पक्ष में 1/3 हिस्से की वसीयत की गई थी, जिसके संबंध में किसी भी पक्ष को कोई आपत्ती नहीं है। शेष 2/3 हिस्से की भूमि के संबंध में यह राजीनामा हुआ है कि 1/3 हिस्सा अपीलार्थी/वादीगण का रहेगा तथा 1/3 हिस्सा राजाबाबू व दिनेश का रहेगा। जिसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी/वादी राजकुमारी, प्रत्यर्थीगण राजू, राजाबाबू एवं मायाराम ने अपने कथनों में ऐसा ही बताया है। अपीलार्थी/वादी श्रीमती राजकुमारी को श्री दिनेश गुर्जर अधिवक्ता ने तथा प्रत्यर्थी राजू को श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता ने तथा राजाबाबू एवं मायाराम को श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ने पहचाना है। अतः राजीनामा विधिवत प्रकट होता है।

अपीलार्थी / वादी की ओर से वाद एवं अपील में वसीयतनामें में उल्लेखित भूमि अर्थात विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 928 रकवा 1.05 हैक्टे एवं सर्वे क्रमांक 930 रकवा 0.45 हैक्टे0 स्थित ग्राम लोधे की पाली प्रगना गोहद जिला भिण्ड के 1/3 हिस्से का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने की सहायता चाही है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी / वादीगण का वाद निरस्त किया गया है। अतः बिना गुणदोष के आधार पर स्वत्व की डिक्री और बिना बंटवारे के स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती है।

राजीनामा विधि विरूद्ध न होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। उपरोक्त राजीनामे के आधार पर निम्न आशय की डिकी प्रदान की जाती है। और आदेशित किया जाता है कि:—

- 1 मूल व्यवहार वाद क्रमांक 22ए / 15 में विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.09.16 को अपास्त किया जाता है।
- 2. विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 928 रकवा 1.05 हैक्टे एवं सर्वे क्रमांक 930 रकवा 0.45 हैक्टे0 स्थित ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद जिला भिण्ड के शेष 1/3 हिस्से पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण राजू, राजाबाबू, दिनेश, शंकरलाल एवं मायाराम का कोई हक व अधिकार नहीं रहेगा।
- उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 4. अधिवक्ता शुल्क २,००० / रूपए लगाया जावे। उपरोक्तानुसार डिकी तैयार कि जावे।

आदेश की प्रति विचारण न्यायालय की ओर अभिलेख सहित भेजी जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(मुंशीसिंह यादव) (विकास कांकर) सदस्य सदस्य

(मोहम्मद अजहर) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत,खण्डपीठ क.19